SDO DHOD

सुनील आदि V/S चम्पा देवी आदि

21/2025 9 नियम 4 CPC

17/7/25 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष जवाब हेतु समय चाहा। अतः अंतिम समय दिया जाकर पत्रावली दि. 28/7/25 को पेश हो।

28/7/25 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष अप्रार्थी 6 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली। वास्ते बहस दिनांक 8/8/25 को पेश हो।

08/08/25 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त,
यात्रा पर/अन्य काय मे व्यस्त है। पत्रावली पूव
आदेशानुसार दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

25/09/25 पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त,
यात्रा पर/अन्य काय मे व्यस्त है। पत्रावली पूव
आदेशानुसार दिनांक 06/10/25 को पेश हो।

06/10/25 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ
का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश हो।

10/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/11/25 को पेश हो।

20/11/25 पत्रावली [illegible] हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] पत्रावली का [illegible] किया। अतः प्रार्थी [illegible] आदेश 500 रु की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। [illegible] प्रथक से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.28 15:29:15 IST
Reason: SelfAttested

SDO DHOD

सुनील आदि बनाम चम्पा देवी आदि

21/2025

आदेश पारित पत्रावली फैसल शुदा जेरे हुक्म
वास्ते कार्यवाही पत्रावली तहसील भेजी जावे
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.28 15:29:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना—पत्र / मु.सं.— 21 / 2025</u>

01. सुनील उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलाराम
02. मनोज उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलाराम
03. मुकेश उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलाराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी सालमसिंह तहसील व जिला सीकर

— प्रार्थीगण

बनाम

01. श्रीमती चम्पा देवी सोनी पत्नी डॉ. एस. एल. सोनी निवासी नवजीवन हॉस्पिटल, बसंत विहार, सीकर तहसील व जिला सीकर
02. उपपंजीयक, सीकर तहसील व जिला सीकर
03. तहसीलदार, सीकर तहसील व जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी</u>
<u>(टी.आई. सं. 264 / 2014 बउनवानी सुनील आदि बनाम श्रीमती चम्पा सोनी आदि)</u>

उपस्थिति—
01. श्री राजेश कुमार माथुर, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री महेश कुमार जांगिड़, वकील अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से

—:निर्णय:—

दिनांक— 20 .11.2025

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ''माननीय न्यायालय के समक्ष एक विविध सं. 264 / 2014 बउनवानी सुनील आदि बनाम श्रीमती चम्पा देवी सोनी आदि विचाराधीन था, जो दिनांक 03.06.2024 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। उक्त वाद प्रार्थीगण की ओर से अपनी पैतृक कृषि भूमि में 1 / 2 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अनुतोष के लिये प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद जो कि राजस्व वाद है। प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं होने की आवश्यकता बताई जाकर अधिवक्ता महोदय ने यह कहा था कि आपकी आवश्यकता बयानों के वक्त होगी। तब आपको सूचित करके बुलवा लिया जावेगा। चूंकि उक्त पत्रावली साक्ष्य की स्टेज पर पहुँची ही नहीं थी। इसलिए प्रार्थीगण के अधिवक्ता महोदय ने प्रकरण की तारीख पेशी 03.06.2024 को बुलाया नहीं और इस दिनांक की प्रार्थीगण को जानकारी भी नहीं रही। इस वजह से प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। इस वजह से व[illegible] हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण के निर्णय की जानकारी [illegible] विपक्षी पक्षकार द्वारा अपनी जीत की सूचना प्रार्थीगण को दिनांक 14.01.2025 मकर सक्रांति [illegible] अवसर पर देने से हुई तो प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.01.2025 को प्राप्त की, तो प्रकरण के निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.28 16:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

की सम्पूर्ण जानकारी हुई। उक्त वाद में प्रार्थीगण के राजस्व विधिक अधिकार निहित होने से उक्त वाद में पुनः सुनवाई पर लिया जाकर प्रार्थीगण के विधिक अधिकार को गुणावगुण पर तय किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना–पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि टी.आई. विविध सं. 264/2014 बउनवानी सुनील आदि बनाम श्रीमती चम्पा सोनी आदि में निर्णय दिनांक 03.06.2024 को अपास्त किया जाकर पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने की कृपा करें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 पर विधिवत तामील पूर्ण हो चुकी है। उक्त के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से श्री महेश कुमार जांगिड़, एड. ने वकालतनामा पेश कर मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''मद सं. 1 में वर्णित प्रकरण सं. 264/2014 बउनवानी सुनिल बनाम चम्पा देवी आदि दिनांक 03.06.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने का कथन स्वीकार है। मद सं. 2 जिस तरह से अंकित है, स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी ने अपने 1/2 हिस्से की घोषणा का वाद कतई गलत आधारों पर प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी को सफलता की आशा नहीं होने पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। प्रार्थी/आवेदक को अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना मामला प्रमाणित करना होता है। जब प्रार्थी न्यायालय में आने से ही उदासीन हो तो न्यायालय उसके घर जाकर न्याय वितरित नहीं करेगा। प्रार्थी ने वकील वादी पर कतई गलत आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं होने का आश्वासन दिया था। प्रकरण साक्ष्य की स्टेप पर नहीं पहुंचा था। जब वादी/प्रार्थी न्यायालय में आता ही नहीं था तो उसे स्टेज की जानकारी नहीं थी। जब उसने अदम हाजरी मे खारिजी की नकल निकलवाई, तब उसे प्रकरण की स्टेज की जानकारी हुई। प्रार्थी/वादी अपनी उपस्थिति का सर्वोत्तम कारण नहीं बता सका है कि वे पुकार के समय न्यायालय में उपस्थित क्यों नहीं आये। अगर वादी/प्रार्थी न्यायालय मे हाजिर नही आता है, तो प्रकरण अदम हाजरी में खारिज होता है। प्रार्थी को अदम हाजरी मे खारिजी की जानकारी दिनांक 03.06.2024 से ही रही है। प्रकरण मियाद में लाने के लिये दिनांक 14.01.2025 को प्रत्यर्थी अनावेदक द्वारा जीत की सूचना दिये जाने का झूंठा अभिकथन किया है। प्रत्यर्थी ने जीत का कोई जश्न नहीं मनाया ना ही अखबार मे कोई विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई। प्रार्थी अपने प्रकरण को मियाद के प्रहार से बचाने के लिये प्रार्थी द्वारा सूचना दिये जाने का मनगढंत तथ्य अंकित किया है। मद सं. 3 जिस तरह से अंकित है, गलत होने से अस्वीकार है। न्यायालय उदासीन व्यक्तियों की कोई सहायता नहीं करता। प्रार्थीगण/वादीगण जानबूझकर न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। इसलिये प्रकरण अदम हाजरी में खारिज हुआ है। प्रार्थीगण के पिता ने विवादित भूमियों के बदले प्रतिफल राशि जरिये बैंक प्राप्त की थी, जिसे प्रार्थी की शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि में व्यय किया। इसके अलावा प्रतिफल की राशि से ग्राम ढूकिया की भूमि खसरा सं. 1756 रकबा 5.5500 हेक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की, जिसे कालान्तर में प्रार्थीगण ने आंची देवी पत्नी नारायण व गुलाबी देवी पत्नी बंशीधर जाट को बेचान कर दी ओर प्रतिफल राशि से सीकर के नजदीक ग्राम पुरा बड़ी में आराजी खसरा सं. 248 रकबा 10.2400 हेक्टेयर में से 2.0200 हेक्टेयर भूमि खरीद [illegible] के पिता मूलाराम ने अपने परिवार की जरूरतों के लिये किये गये विक्रय को अपने [illegible] कृत घोषित करवाने के हकदार नहीं है। जब तक की विशिष्ट न्यायालय [illegible] सम्पदा परिवार के हित में विक्रय नहीं किया जाने की घोषणा प्राप्त [illegible] अन्य भूमियां खरीद ली। प्रार्थीगण अपने दावे में अपने पिता/पूर्वज द्वारा विक्रय की गई भूमि के संबंध में घोषणा का वाद लाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.28 16:29:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रतिबंधित है। मद सं. 4 व 5 कानूनी होने से जवाब की मोहताज नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन मिथ्या निराधार होकर पुनः नम्बर पर लिये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें।''

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थीया सं. 1 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थी का आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण आवेदन में प्रार्थी के द्वारा टी.आई. सं. 264/2014 उनवान सुनील आदि बनाम चम्पा देवी आदि को न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 03.06.2024 को वकील वादीपक्ष/प्रार्थीपक्ष तथा उक्त स्वयं के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली टी.आई. को अदम हाजिरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। उक्त टी.आई. आवेदन की तत्समय की आदेशिका का भी अवलोकन किया गया। चूंकि वर्णित प्रकरण टी. आई. आवेदन सं. 264/2014 न्यायालय हाजा में वर्ष 2014 से लम्वित था, जिसमें जवाब आवेदन पेश होना अपेक्षित था। इसी दौरान प्रकरण टी.आई. आवेदन में वादीपक्ष/प्रार्थीपक्ष की ओर से न्यायालय समय में बार–बार आवाज लगवाने के बावजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अदम पैरवी/अदम हाजिरी में खारिज की गई थी। हालांकि वकील अप्रार्थीया/प्रतिवादिया सं. 1 ने हस्तगत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया है। लेकिन प्रकरण के निस्तारण की सुगमता हेतु सद्भाविक रूख अपनाते हुये वर्णित प्रकरण टी.आई. आवेदन सं. 264/2014 की इस स्टेज पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण/वादीगण का हस्तगत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. को 500 रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर टी.आई. आवेदन सं. 264/2014 उनवान सुनील आदि बनाम चम्पा देवी आदि को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक २० .11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.28 15:29:15 IST
Reason: SelfAttested